बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

सकारण आदेश

पटना, दिनांक

संख्या–2 / कोर्ट–30–03 / 2013गृ0आ0...../ श्री राजकुमार यादव, तत्कालीन वरीय पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–8641 / 2013 दायर किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न याचना की गई थी :–

(A) For quashing the order dated 26.03.2013 contained in Memo-2/Court-30-03/2013 Home Police 2437/Patna (ANNEXURE-1).

(B) For commanding the respondents concerned to promote the petitioner on the post of Additional Superintendent of Police with all consequential benefits maintaining his seniority that is above Rashid Zama and below Shashi Bhushan Sharma.

2. उक्त वाद का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने दिनांक 22.10.14 को पारित न्यायादेश द्वारा किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

"3 Mr. Sinha, the learned counsel for the petitioner, after some argument, has accepted that there is no merit in the prayer of the petitioner to assail the order dated 26.03.2013 (Annexure-1). The writ application, accordingly, dismissed.

4. However, Mr. Sinha has sought liberty to approach the State-respondents for consideration of the case of the petitioner for ad-hoc promotion in view of the Resolution of the Personnel and Administrative Reforms Department dated 11.09.2002 and has also placed reliance on the order on similar line passed in C.W.J.C. No. 877 of 2014 on 03.02.2014.

5 Without going into the merits of the claim of ad-hoc promotion of the petitioner and also in view of the fact that this claim has never been made by the petitioner at any point of time earlier, this Court is inclined to grant liberty to the petitioner to approach the appropriate authority with such claim in accordance with law and the said authority is enjoined to consider the same and dispose it of in accordance with law/rules preferably within a period of six months from the date of filing of the representation by the petitioner in this regard. It is made clear that this Court has not expressed any opinion on the claim of the petitioner for ad-hoc promotion which shall be decided on its own merits by the concerned authority."

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना अपने न्यायादेश दिनांक 22.10.2014 में श्री यादव की याचना को अमान्य करते हुये विभागीय आदेश सं0–2437, दिनांक 26.03.2013 के द्वारा संसूचित श्री यादव को अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर नियमित प्रोन्नति नहीं दिये जाने के विभागीय निर्णय को उचित ठहराया है। माननीय न्यायालय ने श्री यादव को अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर तदर्थ (ad-hoc) प्रोन्नति देने हेतु सक्षम प्राधिकार के समक्ष अभ्यावेदन देने की स्वतंत्रता देते हुये निदेश दिया है कि सक्षम प्राधिकार श्री यादव के अभ्यावेदन पर छः माह के अन्दर विधि के अनुसार विचार करे।

4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त न्यायादेश की सत्यापित प्रति संलग्न करते हुए श्री राजकुमार यादव, तत्कालीन वरीय पुलिस उपाधीक्षक ने अभ्यावेदन समर्पित करते हुये विभाग से निम्न याचना की :–

"Therefore, in the light of new facts and circumstances, it is prayed that I may be given Ad hoc promotion on the post of additional Superintendent of Police."

5. न्यायादेश के अनुपालन में तदर्थ प्रोन्नति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–7457 दिनांक 11.09.02 में किए गये प्रावधान के आलोक में तदर्थ प्रोन्नति से संबंधित पाँच बिन्दुओं पर विभागीय पत्रांक–2626 दिनांक 15.04.15 द्वारा पुलिस मुख्यालय से मंतव्य की माँग की गयी। पुलिस मुख्यालय ने अपने पत्रांक–3912/एक्स0पी0, दिनांक 17.06.15 के द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस के पत्रांक–70/गो0शा0, दिनांक–15.05.15 की प्रति संलग्न करते हुए अपनी सहमति के साथ इस पर अग्रतर कार्रवाई करने की अनुशंसा की।

6. श्री यादव के अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर तदर्थ प्रोन्नति का प्रस्ताव विभागीय प्रोन्नति समिति के समक्ष रखा गया। अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की दिनांक 20.12.2012 की बैठक में इसपर विचार करते हुए श्री राजकुमार यादव (20/14) को अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर तदर्थ प्रोन्नति के योग्य की अनुशंसा की। उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–2080, दिनांक–15.03.2016 के द्वारा श्री यादव को निर्धारित नियमों के अनुरूप अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर तदर्थ प्रोन्नति प्रदान की गयी तथा विभागीय अधिसूचना सं0–4972 दिनांक 27.06.2016 के द्वारा इन्हें अपर पुलिस अधीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस–03,बोधगया के पद पर पदस्थापित किया गया जहाँ से श्री यादव दिनांक 31.01.2017 को सेवानिवृत हुये। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 20.10.2014 के न्यायादेश का अनुपालन किया जा चुका है।

7. श्री यादव ने सेवानिवृति के ठीक पूर्व पुनः दिनांक 20.01.2017 को विभाग में समर्पित अपने अभ्यावेदन में यह दावा किया है कि सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–8641/13 में दिनांक–22.10.2014 के न्यायादेश के आलोक में दिनांक–11.09.2002 से अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति दिया जाना अपेक्षित है।

8. उल्लेखनीय है कि श्री यादव के विरूद्ध सी0बी0आई0 में दायर मामला RCNo.-1 & 2(S)/99-SCB-11/DLI में अभियोग पत्र समर्पित है तथा यह मामला अभी माननीय न्यायालय में लंबित है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–7457, दिनांक 11.09.2002 में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री यादव की अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर नियमित प्रोन्नति

विचारणीय नहीं है। उल्लेखनीय है कि श्री यादव को अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर नियमित प्रोन्नति हेतु दावे को विभागीय आदेश ज्ञापांक–2/कोर्ट–30–03/2013Home Police–2437/ पटना दिनांक 26.03.2013 से खारिज किया गया था। उक्त विभागीय आदेश को श्री यादव द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–8641/2013 दायर कर चुनौती दी गयी थी, परन्तु स्वयं श्री यादव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त आदेश को चुनौती देने के प्रार्थना में कोई योग्यता न होनें की बात माननीय न्यायालय के समक्ष कही गयी, फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक–22.10.2014 से श्री यादव के द्वारा दायर याचिका सं0–8641/2013 को खारिज कर दिया।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री यादव के दिनांक 20.01.2017 के अभ्यावेदन को पोषणीय नहीं पाते हुये अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(आमिर सुबहानी)
प्रधान सचिव
गृह विभाग

ज्ञापांक– 2/कोर्ट–30–03/2013गृ0आ0 2289 / पटना दिनांक 17/3/17

प्रतिलिपिः– पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्री राजकुमार यादव, सेवानिवृत अपर पुलिस अधीक्षक (प्रशासन), पुलिस महानिरीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस का कार्यालय, बिहार, पटना/आई0टी0, प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/03/17

(दुर्गेश कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव